



—: प्रेस नोट:—

पुलिस थाना लूणी

किराये कि सम्पति का फर्जी पट्टा बना कर बैंक से ऋण प्राप्त मुलजिम गिरफ्तार

प्रार्थी श्री चैन भारती पुत्र श्री राजु भारती जाती गोस्वामी निवासी भटीण्डा थाना लूणी जोधपुर के खुद गांव मे पट्टाशुदा दुकानो मे तीन साल से किरायेदार मुलजिम सेठ भारती पुत्र श्री लादु भारती जाती गोस्वामी उम्र 38 साल निवासी सांवलता खुर्द थाना रोहट जिला पाली द्वारा सन 2021 मे किराये पर ली हुई दुकानो का कार्यालय सरपंच ग्राम पंचायत भटीण्डा पंचायत समिती लूणी जोधपुर से अपने नाम जारी शुदा आवासीय भुखण्ड का पट्टा अन्य के सहयोग से बनवाया जाकर **AU** स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड शाखा बोम्बे मोटर्स जोधपुर स्थित के अधिकारियो/कर्मचारियो के सहयोग से क्षयडंत्रपूर्वक कुटरचित दस्तावेजात बना कर उपयोग मे लेकर उक्त बैंक से मुलजिम सेठ भारती द्वारा 25 लाख रुपये व्यसाय ऋण स्वीकृत करवाया जाकर ऋण प्राप्त कर लिया वगैरा रिपोर्ट पर थाना पर अभियोग सख्या 187/22 धारा 420,406,467,468,471,120 बी भादस मे पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान श्री भारुराम सउनि के जिम्मे किया गया।अग्रमि अनुसंधान के दौरान माफिक निर्देश एवं सुपरविजन मन थानाधिकारी तथा उच्च अफसरान सुपरवाईजरी नोट की पालना मे श्री भारुराम सउनि मय टीम द्वारा आरोपी सेठ भारती पुत्र श्री लादु भारती जाती गोस्वामी उम्र 38 साल निवासी सांवलता खुर्द थाना रोहट जिला पाली को बाद अनुसंधान पुछताछ के जुर्म कर्ता स्वीकार एवं अनुसंधान से जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 26.8.22 को न्यायालय मे पेश किया जायेगा।प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।

गिरफ्तार मुलजिम—

1. सेठ भारती पुत्र श्री लादु भारती जाती गोस्वामी उम्र 38 साल निवासी सांवलता खुर्द थाना रोहट जिला पाली

(ईशवरचन्द्र नि पु).

थानाधिकारी

पुलिस थाना लूणी